(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1538–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–12–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी प्रकरण क्रमांक– 5/अ–5/2014–15.

.....

परमेश्वर दयाल सिंह फौत द्वारा वैध वारसान–
1. सीमासिंह पत्नि स्व0 श्री परमेश्वर दयाल सिंह
2. आंचल सिंह पहुत्री स्व0 श्री परमेश्वर दयाल सिंह
3. काजल सिंह
4. खुशी सिंह
5. रखासिंह
सभी नाबालिग पुत्रीगण स्व0 श्री परमेश्वर दयाल सिंह
सरपरस्त माता सीमा सिंह
सभी निवासीगण ग्राम खाडी पोसट घोघरा तहसील
सिहावल जिला सीधी म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

1. रामलखन पिता रामसेवक राम
2. वीरेन्द्र प्रसाद पिता रामसेवक राम ब्राम्हण
दोनों निवासी ग्राम हटवा वरहा टोला, तहसील
सिहावल जिला सीधी म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी के आदेश दिनांक 06–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार सिहावल के समक्ष ग्राम हटवा बरहा टोला की आराजी कमांक 1004/1 रकवा 0.13 हे0 भूमि के नक्शा तर्मीम किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5/अ–5/2014–15 में दिनांक 06–12–14 के द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक को बिना पक्षकार बनाये अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की है, जबकि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का किसी प्रकार का कोई स्वत्व नहीं है। आवेदक एवं उनके भाईयों के आपसी पैतृक बटनवारा दिनांक 30–7–2002 को सहमति के आधार पर हो चुका है और उसी आधार पर सभी काबिज कास्त हैं। तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधिवत प्रकिया अपनाकर पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 6–12–14 में पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा नोटिस की विधिवत तामील होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। लिहाजा स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक को न सुना और नही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जबकि नक्शा तरमीम के मामले में मौके पर हमेशा विवाद की स्थिति रहती है अतः आवश्यक है कि सभी पक्ष मौके पर रहे और उनकी विधिवत तामील उपरांत विधिवत सुनवाई की जाये। लिहाजा मात्र पटवारी प्रतिवेदन के प्रस्ताव के आधार पर

जिसमें कि उभय पक्षों की सुनवाई नहीं की गई, किया गया तरमीम आदेश वैधानिक नहीं कहा जा सकता। जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार सिहावल जिला सीधी को इस इस बावत प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्षों की विधिवत सूचना तामीली एवं सुनवाई उपरांत मौके पर एवं राजस्व रिकार्डों में विधिवत नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाये।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

3/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर